2009:CGHC:5586

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 275/2008

श्रीमती कामिनी भारद्वाज, पति श्री एस.सी. भारद्वाज, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी स्ट्रीट नंबर 7-बी, 1/1, मैत्री नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री शंकर एजुकेशन सोसाइटी, द्वारा सचिव, सेक्टर- 10, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. अध्यक्ष, श्री शंकर एजुकेशन सोसाइटी, सेक्टर- 10, भिलाई,, जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. प्रिंसिपल, श्री शंकर विद्यालाया, श्री शंकर विद्यालाया, सेक्टर- 10, भिलाई,, जिला दुर्ग (छ.ग.)

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से : श्रीमती फौज़िआ मिर्ज़ा, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री विपिन तिवारी, अधिवक्ता

आदेश

(दिनाँक 09 अप्रैल 2009 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस आशय से दायर की है कि उत्तरवादी प्राधिकरणों को यह निर्देश दिया जाए कि दिनाँक 14-11-2007 (अनुलग्नक पी-2) के आक्षेपित आदेश के

अनुसार उसे दिनाँक 8-2-2008 से सेवानिवृत्त न किया जाए और उक्त आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किया जाए।

2. प्रकरण के निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी शिक्षा समिति एक गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय संचालित कर रही है, जिसका नाम श्री शंकर विद्यालय, सेक्टर-10, भिलाई, जिला दुर्ग है,। याचिकाकर्ता को वर्ष 1992 में प्रारंभ में अस्थायी रूप से मानदेय पर सहायक शिक्षकपद पर 6 माह की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उसे नियमितीकृत किया गया और बाद में स्थाई भी कर दिया गया। उसे दिनाँक 14-11-2007 को आक्षेपित सूचना दी गई, जिसमें यह बताया गया कि वह दिनाँक 8-2-2008 को अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाएगी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अधिवर्षिकी आयु अधिनियम, 1997 की धारा 2 के मूलभूत नियम के नियम 56 की उप-धारा (1) के अनुसार, राज्य के समकक्ष कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। अतः 58 वर्ष की आयु में उसकी सेवानिवृत्ति करना मनमाना, भेदभावपूर्ण तथा उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। समिति ने रामकिशुन गेंन्द्रे नामक एक माली को भी विद्यालय में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दिनाँक 15-11-2007 (अनुलग्नक आर.जे.-1) के आदेश द्वारा सेवानिवृत्त किया। संस्थान द्वारा दिनाँक 11-9-1998 और दिनाँक 1-10-2007 को बनाए गए सेवा-शर्तों में कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कर्मचारियों की सेवा शर्तें उन्हीं प्रावधानों से शासित होंगी जो राज्य शासन के समकक्ष स्थिति वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। संस्थान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संक्षेप में (सी.बी.एस.सी.) से संबद्ध है। सी.बी.एस.सी. के संबद्धता उपनियम का अध्याय 7 कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित है। सी.बी.एस.सी. के संबद्धता उपनियम की खण्ड 10 में कर्मचारी और सेवा शर्तों का उल्लेख है। यह भी तर्क दिया गया कि संस्थान को स्थायी रूप से सी.बी.एस.सी. से संबद्धता प्राप्त है। संबद्धता उपनियमों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि विद्यालय के पास राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के मानदंडों के अनुसार स्पष्ट परिभाषित सेवा शर्तें होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय को अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने होते हैं, जो कि संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियम के अनुसार होंगे यदि उस अधिनियम में ऐसा करना अनिवार्य हो, अन्यथा उपनियमों में दिए गए सेवा नियम लागू होंगे। संबद्धता उपनियम की खण्ड 30 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित है, जिसके

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुसार अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु शैक्षणिक सत्र के दौरान पूर्ण होती है, तो उसे सत्र की समाप्ति पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। उक्त धारा यह भी प्रावधान करती है कि प्रबंध समिति द्वारा विस्तार दिया जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि चूँकि संस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए राज्य के शिक्षा अधिनियम के अनुसार सेवा नियम नहीं बनाए हैं और वह अधिनियम भी उसे अनिवार्य नहीं करता, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें सी.बी.एस.सी. के संबद्धता उपनियमों से नियंत्रित होंगी

4. इसके विपरित, उत्तरवादियों ने अपने जवाबदावा तथा अतिरिक्त जवाबदावा में यह कहा कि उत्तरवादी संस्था एक गैर अनुदान प्राप्त निजी संस्था है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाला प्राधिकरण नहीं है। अतः वर्तमान याचिका, जो कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, विचारणीय नहीं है। म.प्र. शासकीय सेवक (अधिवर्षिकी आयु) संशोधन अधिनियम, 1984 केवल शासकीय कर्मचारियों, शिक्षकों तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष का प्रावधान करता है। यह प्रावधान उत्तरवादी संस्था, जो कि एक गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय है, पर लागू नहीं होता। चूँकि उत्तरवादी संस्था पूर्णतः गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय है, इसलिए उसे अपनी इच्छा से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने का अधिकार है। भिलाई क्षेत्र में चल रहे अन्य गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, जो सी.बी.एस.सी. से संबद्ध हैं, उन्होंने भी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष या उससे कम निर्धारित की है। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि उत्तरवादी द्वारा दिनाँक 11-9-1998 के बनाए गए सेवा-शर्तों में सेवानिवृत्ति आयु का उल्लेख नहीं है, परंतु म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963, जो सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, उसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित है। जहाँ तक माली रामकिशुन गेंन्द्रे को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का प्रश्न है, उसने अपनी जन्म-तिथि 5-4-51 घोषित की थी। उसे बार-बार अपनी जन्मतिथि का प्रमाण देने को कहा गया और जब उसने स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, तो दिनाँक 15-11-2007 को वर्तमान सेवानिवृत्त कर दिया गया क्योंकि वह पहले ही अधिवर्षिता आयु पार कर चुका था। यह आरोप भी अस्वीकार किया गया कि अन्य शिक्षक जैसे श्री जोशी, श्रीमती प्रमिला सरपाल और श्री मिश्रा को भी 58 वर्ष से अधिक आयु होने के बाद सेवा में बने रहने दिया गया। इनका तर्क है कि इन व्यक्तियों की सेवाएँ समेकित वेतन पर ली गई हैं, क्योंकि वे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भिलाई स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त विशेषज्ञ हैं और वे संस्थान के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। संस्था ने पहले ही अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें दिनाँक 12-11-2007 (अनुलग्नक आर-6) से संशोधित कर दी हैं, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्कें सुनीं।

6. दोनों पक्षों के अभिवचनों एवं विधिक तर्कों के आधार पर इस याचिका के निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:

> "क्या एक निजी शैक्षणिक संस्था, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.सी.) से संबद्ध है, को उसके कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित सेवा शर्तें सी.बी.एस.सी. संबद्धता उपनियमों के अनुसार लागू करने हेतु अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति परमादेश रिट जारी की जा सकती है?"

7. निर्विवाद रूप से श्री शंकर विद्यालय एक गैर अनुदान प्राप्त निजी संस्था है, जो सी.बी.एस.सी. से संबद्ध है। यह विद्यालय उत्तरवादी क्रमांक-1 श्री शंकर शिक्षा समिति द्वारा संचालित है। याचिकाकर्ता को इस विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में स्थाई किया गया था। उसे दिनाँक 14-11-2007 के आक्षेपित ज्ञापन द्वारा सूचित किया गया कि वह दिनाँक 8-2-2008 को अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सी.बी.एस.सी. संबद्धता उपनियम किसी निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्था, जो सी.बी.एस.सी. से संबद्ध है, के कर्मचारियों/शिक्षकों को कोई वैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं?

9. उत्तरवादी क्रमांक-1 एक निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्था है, जिसे हाल ही में सी.बी.एस.सी. से संबद्धता प्राप्त हुई है। सी.बी.एस.सी. ने संबद्धता हेतु उपनियम बनाए हैं। अध्याय-**I** में उपनियम का संक्षिप्त शीर्षक एवं परिभाषाएँ दी गई हैं। अध्याय-**II** में संबद्धता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। अध्याय-**III** में संबद्धता हेतु आवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई का प्रावधान है। अध्याय-**V** में संबद्ध विद्यालयों की संबद्धता समाप्त करने का प्रावधान है। अध्याय-**VII** संबद्ध/संबद्ध होने वाले विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम निर्धारित करता है। अध्याय-**IX** में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। अध्याय-**X** बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वह विशेष परिस्थितियों में कुछ वर्षों के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में छूट दे सके। उपनियम 2(1)(22) में "निजी गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय" की परिभाषा दी गई है अर्थात ऐसा विद्यालय जो

किसी समिति/ट्रस्ट द्वारा संचालित हो, जो विधिवत गठित एवं पंजीकृत हो तथा सरकार से नियमित अनुदान प्राप्त न करता हो। अध्याय-2 के उपनियम 3 में संबद्धता के मानदंड दिए गए हैं। उपनियम 3(रा)(**v**)(ड़) के अनुसार, जो विद्यालय स्थायी रूप से संबद्ध हैं, उन्हें अध्याय-**II** के उपनियम 3 में उल्लिखित 'करना' और 'नहीं करना' का पालन करना अनिवार्य है। संबद्धता उपनियम की सभी अन्य शर्तें भी यथावत परिवर्तन सहित लागू होंगी। उपनियम 10 में स्टाफ एवं सेवा शर्तों का उल्लेख है। उपनियम 10(3) के अनुसार विद्यालय के पास सेवा की स्पष्ट शर्तें होनी चाहिए, जो राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के मानदंडों के अनुरूप हों, और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। साथ ही, कर्मचारियों के साथ सेवा अनुबंध भी होना चाहिए। यह अनुबंध या तो उपनियमों के खण्ड- 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगा या यदि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का अधिनियम इसका प्रावधान करता है तो उस अधिनियम के अनुसार होगा। अध्याय-7 में कर्मचारियों के लिए सेवा नियम निर्धारित हैं। इस अध्याय का उपनियम 24 यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक सी.बी.एस.सी. संबद्ध विद्यालय अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाए। यदि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा अधिनियम ऐसे नियम अपनाना अनिवार्य करता है, तो वैसा ही नियम लागू होगा; अन्यथा, उपनियमों में दिए गए सेवा नियम लागू होंगे। अध्याय-7 का उपनियम 30 सेवानिवृत्ति से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक कर्मचारी, जिसमें संस्थान का प्रधान भी शामिल है, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होगा। परंतु यदि अधिवर्षिता आयु शैक्षणिक सत्र के बीच में पूरी होती है, तो कर्मचारी उसी शैक्षणिक सत्र के अंत में सेवानिवृत्त होगा। उपनियम 30(2) के अनुसार प्रबंध समिति को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के नियमों के अनुसार विस्तार देने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **'बिन्नी लिमिटेड एवं अन्य बनाम वी. सदाशिवन एवं अन्य'**[1] के मामले में, जब संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका की ग्राह्यता पर विचार किया गया, तो यह निर्णय दिया गया कि यद्यपि उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यापक शक्तियाँ हैं, किन्तु इन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक मार्गदर्शन के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो यह शक्ति लागू की जा सकती है। निजी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति जब अनुबंध के आधार पर होती है, तो न्यायालय सामान्यतः न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं करते। यदि कभी निजी

[1] (2005) 6 SCC 657

नियोक्ताओं के विरुद्ध यह शक्ति प्रयोग की जाती है, तो वह केवल उसी स्थिति में होता है जब उसमें कोई सार्वजनिक विधि तत्व सम्मिलित हो। विभिन्न पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि—

> "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमादेश रिट अथवा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपाय मुख्यतः सार्वजनिक विधि उपाय है, न कि सामान्यतः निजी विवादों के लिए। यह अनुज्ञप्ति सार्वजनिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा सार्वजनिक/ वैधानिक प्राधिकरणों को उनके कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य करने और उनकी सीमाओं में कार्य करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह अनुज्ञप्ति उस स्थिति में भी दी जा सकती है जब कोई निजी निकाय अथवा व्यक्ति सार्वजनिक कार्य कर रहा हो और किसी अधिकार का हनन उस सार्वजनिक दायित्व से जुड़ा हो। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक विधि उपाय लागू किया जा सकता है। दायित्व चाहे वैधानिक हो अथवा अन्य किसी स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता; किन्तु यह आवश्यक है कि उस कार्रवाई में सार्वजनिक विधि तत्व मौजूद हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **'के. कृष्णमाचार्युलु एवं अन्य बनाम श्री वेंकटेश्वर हिन्दू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं अन्य'**[2] के मामले में, अपीलकर्ता निजी कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्त किए गए थे। सरकार द्वारा जारी कार्यपालिका निर्देशों ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे वेतनमान की माँग कर सकें ताकि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समक्ष लाभ मिल सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब किसी निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्था द्वारा सार्वजनिक हित का कार्य किया जा रहा हो और शिक्षक उस संस्था का अंग हैं, तो ऐसे मामलों में कर्मचारी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपाय का लाभ लेने के हकदार हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस संदर्भ में बहुत व्यापक है। परंतु यदि उपाय केवल निजी विधि उपाय हो तो स्थिति अलग होगी। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी स्थिति में याचिका संधार्य है।

12. **'सुष्मिता बसु एवं अन्य बनाम बालीगंज शिक्षा समिति एवं अन्य'**[3] के मामले में, अपीलकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य के एक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के शिक्षक थे।

[2] (1997) 3 SCC 571
[3] (2006) 7 Supreme Court Cases 680

उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह प्रार्थना की थी कि विद्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे विद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय करें और वेतनमान में उत्पन्न सभी विसंगतियों को दूर करें, जैसा कि अन्य सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सरकारी विद्यालयों में लागू किया गया है। माननीय एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए विद्यालय शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया कि वह याचिकाकर्ताओं को वेतनमान एवं महँगाई भत्ते उसी प्रकार दिलवाएँ, जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षकों को दिए जाते हैं, और यह भी जाँच करें कि क्या प्रबंधन द्वारा शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण में कोई भेदभाव अथवा विसंगति की गई है। किंतु, प्रबंधन द्वारा दायर अपील पर युगल पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया। इसके व्यथित होकर पाँच शिक्षकों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई सांविधिक प्रावधान उपलब्ध न हो, तो यह निष्कर्ष देना संभव नहीं है की वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पैरा-4 में कहा—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "इस परिप्रेक्ष्य में, यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका एक निजी शैक्षणिक संस्था को निर्देश देने हेतु परमादेश रिट जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया था कि वह तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वयन करे, जिसमें उसको पूर्ववर्ती प्रभाव से क्रियान्वयन किया जाना भी सम्मिलित है। यहाँ तक कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, अर्थात् के. कृष्णमाचार्युलु बनाम श्री वेंकटेश्वर हिन्दू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मामले में भी यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी निजी शैक्षणिक संस्था, जैसे कि वर्तमान प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक-1, के विरुद्ध परमादेश रिट तभी जारी की जा सकती है जब उसमें कोई सार्वजनिक विधि तत्व सम्मिलित हो। यदि यह केवल एक निजी विधि उपाय है, तो ऐसी स्थिति में कोई रिट याचिका ग्राह्य नहीं होगी। हमारा मत है कि यहाँ तक कि उक्त निर्णय के निर्णय का मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते

हुए भी, वर्तमान मामले में उत्तरवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती थी।"

13. वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी शिक्षा समिति द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। परंतु ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान अथवा सरकारी आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह अनिवार्य करता हो कि निजी गैर अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें सरकारी शिक्षकों अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के अनुरूप बनानी चाहिए। न्यायालय के संज्ञान में यह भी नहीं लाया गया कि राज्य में स्थित सभी विद्यालयों को सी.बी.एस.सी. संबद्धता उपनियमों के अंतर्गत सेवा शर्तें लागू करने का निर्देश दिया गया हो। सी.बी.एस.सी. द्वारा बनाए गए संबद्धता उपनियम केवल संबद्धता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करते हैं, जिनमें कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी शामिल हैं। सी.बी.एस.सी. को यह अधिकार है कि यदि कोई विद्यालय उपनियमों का पालन न करे, तो वह उसकी अस्थायी अथवा स्थायी संबद्धता समाप्त कर सकता है। किंतु, सी.बी.एस.सी. संबद्धता उपनियमों से किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी को वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। अतः, किसी निजी शिक्षक/कर्मचारी द्वारा इस आधार पर दायर याचिका कि उसके सेवा शर्तें सी.बी.एस.सी. उपनियमों के अनुरूप लागू की जाएँ, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संधार्य नहीं है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि सी.बी.एस.सी. संबद्धता उपनियम केवल संबद्धता की शर्तें तय करते हैं और यदि विद्यालय उनका पालन नहीं करता तो सी.बी.एस.सी. उसके विरुद्ध संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई कर सकता है। किन्तु इन उपनियमों से किसी शिक्षक/कर्मचारी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, जिसे वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय में प्रवर्तित कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिणामस्वरूप, यह याचिका सारहीन होने से ख़ारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार ख़ारिज किया जाता है।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANURAG AGRAWAL

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur